

दिनांक : 26.10.2020

—: छात्रवृत्ति संबंधित आवश्यक सूचना :-

**BA/B.Sc/B.Com/BCA Session 2018-19, 2019-20,2020-21 हेतु
समाज कल्याण विभाग की SC/ST/SBC/OBC छात्रवृत्ति प्रक्रिया
प्रारम्भ**

आवेदन की अन्तिम दिनांक : 30 नवम्बर 2020

सामाजिक न्याय आधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-2019, 2019-20 नवीनीकरण एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 में **BA, B.Sc., B.Com, BCA** पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी **SC/ST/SBC/OBC** विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है की छात्रवृत्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। अतः इच्छुक आवेदन संलग्न दिशा-निर्देशानुसार अन्तिम दिनांक 30.11.2020 से पूर्व ऑन-लाईन आवेदन लॉक कर सबमिट करें।

आपके द्वारा ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन लॉक करने व सबमिट करने के बाद इस आवेदन को कॉलेज व समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑन-लाईन चैक किया जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की कमी (**Deficiency**) होगी तो आपके पोर्टल पर कमेंट डाल कर मोबाईल एस.एम.एस. (आवेदन में भरे गए आपके व्यक्तिगत नम्बर) भेज कर सूचित किया जाएगा। इसलिए आपको परामर्श दिया जाता है कि कॉलेज या समाज कल्याण विभाग द्वारा आपके आवेदन से किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन आने पर तुरंत उसे अपडेट कर सही कर पुनः लॉक कर सबमिट करें और इसकी सूचना आपके कॉलेज के छात्रवृत्ति प्रभारी को दें। इसलिए आवेदन करने के बाद नियमित रूप से मोबाईल एस.एम.एस. व अपने पोर्टल को चैक करते रहे।

छात्रवृत्ति आवेदन करने से पूर्व आवेदन की विस्तृत जानकारी हेतु एडमिन शाखा में छात्रवृत्ति प्रभारी श्री विक्रम राठौड़ हेल्पलाईन नम्बर **9667929676** एवं हेल्पलाईन मेल आईडी **admin@mitsjadan.ac.in** से सम्पर्क करें, साथ ही कॉलेज की वेबसाइट पर **SC/ST/SBC/OBC Social Justice Dept Scholarship Announcement Notice for BA/BSC/BCOM/BCA Courses 2020-21** पर वीजीट करें। संलग्न छात्रवृत्ति नोटिस एवं दिशा-निर्देशों में किस भी प्रकार की विसंगती होने पर निदेशालय-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा सत्र 2020-21 हेतु जारी निर्देश ही मान्य होंगे।

संलग्न : दिशा-निर्देश

(प्रबंधन सचिव)

(उप प्राचार्य)

(छात्रवृत्ति प्रभारी)

BA,B.Sc.,B.Com,BCA शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2020-21 हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा SC/ST/SBC/OBC विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली

समाज कल्याण विभाग की Fresh/Rnewal छात्रवृत्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ : अन्तिम दिनांक 30 नवम्बर 2020

<p>Fresh/Renwal Application छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थी</p>	<p>1. अनुसूचित जाति (SC.), अनुसूचित जन जाति (ST), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वर्ग के सभी आवेदक राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। सभी SC/ST/SBC आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के सम्पूर्ण परिवार की सकल स्रोतो से वार्षिक आय (Total Income in Fainicial Year 2019-20) में 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं OBC हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के सम्पूर्ण परिवार की सकल स्रोतो से वार्षिक आय (Total Income in Fainicial Year 2019-20) में 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इन सभी आय की गणना वित्तीय वर्ष 2019-20 में पिता/अभिभावक की आय के आधार पर होनी चाहिए।</p> <p>2. विशेष रूप से ध्यान रखे की OBC Appliction छात्रवृत्ति निम्न वर्गों के विद्यार्थियों को पिछली अंकतालिका में अनिवार्य रूप से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होने एवं उल्लेखित वरीयता क्रमानुसार ही प्रदान की जाएगी। यदि आवेदक विद्यार्थी निम्न 17 कटेगरी के अन्तर्गत आते है तो ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की श्रेणी के OBC विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और स्पष्ट रूप से आपको सूचित किया जाता है यदि आप निम्न निर्धारित श्रेणियों में आते है तो ही आवेदन करे/अन्यथा आवेदन ना करें। 17 कटेगरी का वरीयताक्रमानुसार इस प्रकार है :- 1. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री 2. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्र 3. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री 4. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्र 5. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री 6. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक का पुत्र 7. अनाथ बालिका 8. अनाथ बालक 9. विधवा स्वयं 10. विधवा की पुत्री 11. विधवा का पुत्र 12. तलाकशुदा महिला स्वयं 13. तलाकशुदा महिला की पुत्री 14. तलाकशुदा महिला की पुत्र 15. विशेष योग्यजन स्वयं 16. विशेष योग्यजन की पुत्री 17. विशेष योग्यजन का पुत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थी यदि उपरोक्त 17 श्रेणियों में से यदि किसी एक से संबंधित है तो उस श्रेणी से संबंधित ऑरीजनल प्रमाण-पत्र स्केन कर पोर्टल पर अपलोड कर अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति की स्वीकृत नहीं होगी)</p>
<p>Fresh/Renwal Application छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थी प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि</p>	<p>विभाग द्वारा छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार ही ट्यूशन फीस + रजिस्ट्रेशन फीस + यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फीस + एकजामीनेशन फीस + लाईब्रेरी फीस + खेलकूद शुल्क + पत्रिका शुल्क + संगठन यूनियन शुल्क +नियमानुसार अनुरक्षण भत्ता SC, ST, SBC, OBC के हॉस्टलर एवं डे स्कॉलर विद्यार्थी को समाज कल्याण विभाग के नियमानुसार राशि का रिफंड किया जाता है एवं प्रत्येक BA,B.Sc.,B.Com,BCA पाठ्यक्रम की अधिकतम रिफण्ड सीमा विभाग द्वारा निर्धारित की गई है, अतः उक्त पाठ्यक्रमों में विभाग के नियमानुसार ही छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की जाएगी।</p>
<p>Fresh/Renwal Application ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व निम्न Original Documents तैयार रखे जिन्हे अपलोड करने की आवश्यकता रहेगी।</p>	<p>For Session 2020-21 Fresh/Renwal Application आवेदन हेतु निम्न Original Documents (Scan JPG/PDF) की आवश्यकता रहेगी जो की निर्धारित साईज का हो :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वयं की निजी एवं वैध जी ई-मेल आई डी/वैध मोबाईल नम्बर/विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र 2. आधार संख्या अथवा आधार पंजीकरण संख्या मय रसीद (आधार कार्ड में अपना पर्सनल मोबाईल नम्बर व मेल आईडी आवश्यक रूप से अपडेट कराए उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे) 3. भामाशाह कार्ड अथवा भामाशाह पंजीकरण संख्या मय रसीद (भामाशाह कार्ड में अपना पर्सनल मोबाईल नम्बर, मेल आईडी व आपका बैंक एकाउण्ट नम्बर आपके नाम के साथ आवश्यक रूप से अपडेट कराए उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे) 4. स्वयं के व्यक्तिगत नाम से बैंक खाता का विवरण : बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड, एम.आई.सी.आरकोड, बैंक शाखा का नाम (भामाशाह कार्ड में आपको बैंक एकाउण्ट नम्बर अपडेट होना चाहिए/छात्रवृत्ति में आवेदित बैंक एकाउण्ट नम्बर जन-धन खाता का नहीं होना चाहिए/आपका बैंक एकाउण्ट जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए/खाते में एमाउण्ट ट्रांसफर की सीमा अधिकतम होनी चाहिए)। 5. शैक्षणिक संस्थान का नाम जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है। 6. पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है। 7. पासपोर्ट साईज का फोटो 8. मूल निवास प्रमाण पत्र 09. आवेदक के पिता का PAN CARD (यदि विद्यार्थी कुल 50,000 या इससे अधिक की छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा है, BPL आवेदक के लिए PAN CARD की आवश्यकता नहीं है) 10. 10 वीं की ऑरीजनल अंकतालिका/12वीं की ऑरीजनल अंकतालिका/पिछले वर्ष की ऑरीजनल अंकतालिका (OBC आवेदक के पूर्व अंकतालिका में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।) 11. वर्ष 2020-21 की Fees Receipt फीस वाले कॉलम में Original Fees Receipt पोर्टल पर अपलोड करें। 12.यदि आपने सत्र 2019-20 में अध्ययन नहीं किया है तो निर्धारित प्रारूप में Notray Attested के साथ Original Gape Certificate (Format कॉलेज की वेबसाईट से प्राप्त करें) 13. अन्य पिछड़ा श्रेणी में आवेदन करने हेतु उपरोक्त श्रेणी में आने वाले 17 वर्ग से संबंधित Original Certificate (प्रमाण पत्र)

	<p>14. SC, ST, SBC & OBC का जाति प्रमाण पत्र (विशेष रूप से ध्यान रखे की आवेदन के समय का OBC/ SBC जाति प्रमाण पत्र आवेदन करते समय से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)</p> <p>15. "प्रारूप भाग-द" में नवीनतम नोटरी प्रमाणिकरण सहित आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण प्रस्तुत करते समय विशेष रूप से ध्यान रखे की यदि आपके अभिभावक सरकारी कर्मचारी है तो आपको पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न की ऑरीजनल प्रति (फार्म-16 और जीए-55)/यदि आपके अभिभावक सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनर है तो जिस बैंक खाते में पेंशन आ रही है उसकी वर्ष 2019-20 की बैंक डायरी में सम्पूर्ण एंट्री की प्रिंटआउट एवं PPO पेंशनपेमेंट आर्डर की कॉपी/यदि आपके अभिभावक की आय निजी वेतन से आ रही है तो जहाँ आपके पिताजी नौकरी कर रहे है वहाँ वर्ष 2019-20 का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र को आय प्रमाण पत्र "प्रारूप भाग-द" के साथ कन्टीन्यू स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा आपका आय संबंधी प्रमाण स्वीकार नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग विभाग द्वारा निर्धारित "प्रारूप भाग-द" में ही प्रस्तुत कर और आय प्रमाण के साक्ष्य के रूप में केवल इस प्रपत्र को पोर्टल पर अपलोड करें, यदि आपके द्वारा किसी अन्य प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। 16. विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखे की जो भी डॉक्यूमेंट आप स्केन कर अपलोड कर रहे वो कॉलेज व समाज कल्याण विभाग को Zoom करने पर वेरीफिकेशन हेतु साफ दिखाई दिया जाना चाहिए। यदि आपका स्केन डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं होगा तो आपकी छात्रवृत्ति का आवेदन वेरीफाई नहीं किया जाएगा एवं इस कारण से Scholarship Application Reject होने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। 17. आप से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट Original ही अपलोड करना है और यदि इसके अतिरिक्त यदि आप द्वारा कोई भी डाक्यूमेंट की फोटो कॉपी अपलोड की जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा)</p>
<p>Fresh/Renwal Application ऑन लाईन आवेदन करने में ध्यान रखने योग्य बातें</p>	<p>For Session 2020-21 Fresh/Renwal Application की आवेदन प्रक्रिया एवं विशेष रूप से ध्यान देने योग्य विवरण जिसके अभाव में आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सभी नवीन आवेदन स्वयं के नाम की SSO-ID बनाए और इसी से ऑन-लाईन अंतिम दिनांक 30.11.2020 से पूर्व ऑन-लाईन आवेदन करें। 2. सभी आवेदक अपने Aadhar Card में अपना वैध G-Mail ID और Mobile Nubmer आवश्यक रूप से Update करवाएं यदि आपके Aadhar Card में आपका वैध G-Mail ID और Mobile Nubmer Update नहीं है तो आप SSO-Portal अपना Student Registraion और Scholraship 2019-20 हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे। Aadhar Card में Mail ID और Mobile Nubmer Update होने के बाद ही आप ही आप आवेदन करे उसके पूर्व छात्रवृत्ति आवेदन ना करे। 3. समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू नई प्रक्रिया के तहत इस वर्ष के छात्रवृत्ति की राशि आपके Bhamashah Card में Mention Bank Account Number में हस्तांतरित होगी। अतः आपका SBBJ/Ohter Bank Account Number भामाशाह कार्ड में अपने नाम के साथ लिंक करवा कर Update करवाएं। ध्यान रखें की वाले विद्यार्थी अपने स्वयं के नाम के नवीन व्यक्तिगत SBBJ Bank Account Number को Bhamashah Card में अपने नाम के साथ लिंक करवा कर Update करवाएं एवं ध्यान रखे की आपका Bank Account : Zero Balance Account, Zero Balance, Minimum Transfer Limit, Deactivate Account, JAN-DHAN Account नहीं होना चाहिए। आवेदन करने के उपरान्त इस Bank Account को पुरे वर्ष भर Activate रखें साथ ही बैंक से सम्पर्क कर इस Bank Account की Amount Tranfer Limit को Maximum Amount Tranfer Limit करवा दें। 4. Bhamashah Card में भी आपका आपका वैध G-Mail ID और Mobile Nubmer करवा दें एवं आपके Bank Account Number को आवश्यक रूप से Addhar Card से Link करवाएं। साथ ही यह बैंक एकाउण्ट KYC पूर्ण खाता होना चाहिए। 5. SSO-Portal पर Registration करने के बाद आपके Profile में Bhamashah Card or Addhar Card Nuber आवश्यक रूप से अपडेट करें। 6. उपरोक्त सभी Updation के बाद आप छात्रवृत्ति के नवीन पोर्टल पर आवेदन करें इससे पूर्व आवेदन नही करें। 7. छात्रवृत्ति आवेदन करने व अपना आवेदन-पत्र लॉक करने के बाद यदि इस आवेदन को कॉलेज व समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑन-लाईन चैक किया जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की कमी होगी तो आपके पोर्टल पर कमेंट डाल कर मोबाईल एस.एम.एस. (आवेदन में भरे गए आपके व्यक्तिगत नम्बर) भेज कर सूचित किया जाएगा। इसलिए आपको परामर्श दिया जाता है कि कॉलेज या समाज कल्याण विभाग द्वारा आपके आवेदन से किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन आने पर तुरंत उसे अपडेट कर सही कर पुनः लॉक करें और इसकी सूचना आपके कॉलेज के छात्रवृत्ति प्रभारी को दें। अतः आवेदन करने के बाद नियमित रूप से मोबाईल एस.एम.एस. व अपने पोर्टल को चैक करते रहे 8. आय-प्रमाण पत्र में अपनी वैध आय ही भरे यदि किसी भी विद्यार्थी द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है या गलत आय भरी जाती है तो इसकी समस्त विधिक जिम्मेवारी संबंधित विद्यार्थी व आय-घोशणा पत्र देने वाले व्यक्ति की होगी एवं आय प्रमाण पत्र में किसी भी कॉलम को खाली ना छोड़े। 9. अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज की ऑरीजनल कॉपी ही अपलोड करे किस भी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी पोर्टल पर अपलोड नही करें, फोटो कॉपी मान्य नहीं है।
<p>Fresh/Renwal Application ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scholarship: 2020-21 में आवेदन करने हेतु www.sje.rajasthan.gov.in वेबसाईट को ओपन करके New Scholarship Portal को क्लिक कर आपकी Personal SSO ID बनाए और इसके बाद आवेदन करें (ध्यान रखे की यह SSO ID अपने ही नाम से बना कर आवेदन करे किसी अन्य ई-मीत्र की SSO ID से आवेदन नही करें। 2. आवेदन के समय Department Name : SOCIAL JUSTICE सलेक्ट करे एवं Fee Details में फीस का विवरण कॉलेज द्वारा भरा जाएगा, आपको फीस की हेडवाईज राशि का विवरण नहीं भरना है। 3. अन्तिम दिनांक 30.11.2020 तक अपना ऑन-लाईन आवेदन रूप से भरें एवं छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण एवं जानकारी के लिए छात्रवृत्ति प्रभारी श्री विक्रम राठौड़ 9667929676 से सम्पर्क करे।



आय प्रमाण पत्र 2020-21 (इसी प्रारूप में आय प्रमाण पत्र बनवाएं) एवं अध्ययन अंतराल प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार है



आय का घोषणा पत्र
(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा जायेगा)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2020-21 के लिए
प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नामपिता/पति का नाम श्री.....आयु..... वर्षमाह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता.....
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (50 हजार रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति के लिए).....(जो स्पष्ट अंकित हो) (बीपीएल को छोड़कर)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का मामाशाह नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले का मोबाइल नम्बर.....
7. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण :- (सम्बन्धित पर विन्हित करे राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म नं. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि (.....) आदि से आय रु.....	(2) वृत्ति सेवा लाभ अनुदान निकाय आदि से आय रु.....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय रु.....	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज लाभांश से आय रु.....
(5) अन्य स्रोतों से आय रु.....	कुल वार्षिक आय रु.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
आय की वार्षिक करने वाले का नाम.....
मय विद्यार्थी से सम्बन्ध.....

प्रारूप भाग-II (दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियों
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी
को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
(पद नाम मय दिनांक एवं मोबाईल न.)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
(पद नाम मय दिनांक एवं मोबाईल न.)

*नोट:- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान) जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्शद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंभा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ-पत्र)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीशपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की (जो भी हो) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु..... अक्षरे रु..... हैं। उक्त शपथ -पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177,197,198,199,200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोशी पाये जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

(हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता)

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथ कर्ता का नाम).....पिता/पति का नामआयु
निवासीने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

(हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, रजिस्ट्रेशन कर्मांक मय पद एवं सील)

कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन कर्मांक) का नाम व पद मय मुहर)

– अध्ययन अन्तराल प्रमाण पत्र (Gape Certificate) –

छात्रवृत्ति प्रक्रिया सत्र 2020–21 हेतु स्वघोषणा

मैं पुत्र/पुत्री श्री

जाति उम्र निवासी

.....आज बमुकाम बयान करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. यह कि मैंने वर्षमेंकी परीक्षा दी थी जिसमें मैं उत्तीर्ण रहा था/रही थी।
2. यह कि शैक्षणिक सत्र में मेरे नियमित अध्ययन में अन्तराल रहा है।
3. यह कि मैं अध्ययन में अन्तराल शैक्षणिक सत्र.....में मैंने कही भी अन्यत्र प्रवेश नहीं लिया था।
4. यह कि शैक्षणिक सत्र के दौरान मुझ से संबंधित किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद पुलिस थाना/न्यायालय व अन्य विभाग में विचाराधिन नहीं है।
5. यह कि वर्तमान में, मैं शैक्षणिक सत्र 2020–21 में एमआईटीएस साईंस आर्ट्स एण्ड कार्मस कॉलेज-जाडन(पाली) में वर्ष के नियमित विद्यार्थी के रू में अध्ययनरत हूँ।

दिनांक

(हस्ताक्षर प्रार्थी)

– तस्दीक –

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा एवं मुझ द्वारा वर्णित तमाम तथ्य मेरी निजी ज्ञान व जानकारी में सही एवं सत्य है।

(हस्ताक्षर प्रार्थी)

नाम

स्थान

दिनांक